

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 1811

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शृद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 302(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1-4 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63(अ), दिनांक 8 फरवरी, 2010 [खाद्य अपिमश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियमावली, 2010] में :—

पुष्ठ 2 पर स्तंभ 2 में,

1. पंक्ति 31 में, ''300 पीपीएम अधिकतम प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी'' के स्थान पर ''300 पीपीएम अधिकतम प्रविष्टि रखी जाएगी'' पढें।

> [सं. पी. 15014/27/2007-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई.] विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, में संख्यांक का.नि.आ. 2106, दिनांक 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 63(अ), दिनांक 8 फरवरी, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th April, 2010

G.S.R. 302(E).—In the notification Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. G.S.R. 63(E), dated the 8th February, 2010, [Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 2010] and published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary, at page 1-4,—

At page 4, in 2nd column,

- 1. in line 1 for the figure "(iv)" read "(ii)".
- 2. in line 5 for the figure "(v)" read "(iii)"
- 3. in line 14 for the word "inserted" read "substituted". [No. P. 15014/27/2007-PFA/FSSAI]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note: — The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. 63(E) dated 8th February, 2010.

1332 GI/2010